प्रेस विज्ञप्ति

'9.75% भारत सरकार (आईएफसीआई) विशेष प्रतिभूति 2021' का पुनर्भुगतान - प्रेस विज्ञप्ति का निर्गम

'9.75% भारत सरकार (आईएफसीआई) विशेष प्रतिभूति 2021' का पुनर्भुगतान' के अंतर्गत शेष बकाया 30 अक्तूबर 2021 के सममूल्य पर प्नर्भ्गतान योग्य होगा। उक्त तारीख से उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन किसी भी राज्य सरकार दवारा 30 अक्तूबर 2021 को अवकाश घोषित किए जाने पर पूर्व कार्य दिवस राज्य में अदाकर्ता कार्यालय द्वारा ऋण/ऋणों का प्नर्भ्गतान किया जाएगा।

- सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-विनियम 24 (2) और 24 (3) के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभृति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भ्गतान उनके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते ह्ए भुगतान आदेश (पे ऑर्डर) द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा निधियों की प्राप्ति की स्विधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा । प्रतिभूतियों के संबंध में भ्गतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अन्वर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण अग्रिम में ही जमा कर दें। <u>तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेत्</u> <u>अधिदेश के अभाव में,</u> देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए, धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक (जहां वे ब्याज भ्गतान के लिए म्खांकित/ पंजीकृत हैं) में विधिवत विम्क्त प्रतिभृतियों को, भ्गतान हेत् देय तिथि से 20 दिन पूर्व प्रस्त्त कर दें।
- उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग बजट प्रभाग नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001. दिनांक: 29 सितम्बर, 2021.